

राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,



परिवहन ठेके हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक **30.07.2020** अपराह्न 2.00 बजे तक
2. बिड सिक्योरिटी, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्रापट भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक **30.07.2020** सायं 3.00 बजे तक
3. तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक **30.07.2020** सायं 4.00 बजे तक

अनुक्रमणिका

क्र. सं	विवरण	पैज.नं.
1.	बोली आमंत्रण सूचना	3-4
भाग—अ		
2.	अनुभाग.1 निविदादाता हेतु दिशा—निर्देश	6-13
3.	अनुभाग. 2 परिवहन ठेके हेतु सामान्य नियम व शर्तें	14-19
4.	अनुभाग.3 निविदा प्रपत्र	20-21
5.	Annexure-A Compliance with Code of Integrity And no conflict of interest.	22-23
6.	Annexure-B Declaration by the bidder regarding qualification.	24
7.	Annexure-C Grievance redressal during procurement process.	25-27
8.	Annexure-D Additional conditions of contract.	28-29
9.	Annexure-E Format for Declaration & Undertaking	30
10.	Annexure-F राजस्थान में जिला मुख्यालय अनुसार बस मार्गों से दूरी चार्ट (किलोमीटर में)	31
11	संलग्नकों की चैक लिस्ट	32
भाग—ब		
12.	परिवहन कार्यों हेतु निर्धारित बी.एस.आर.	34
भाग—स		
13.	इकाईयों के नाम व पते	36

W

राजस्थान स्टेट सीड़स कार्पोरेशन लिमिटेड

No./राजसीड़स/विधायन/2020/10813

दिनांक 23/7/2020

बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान स्टेट सीड़स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए परिवहन ठेकेदारों से परिवहन कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदाये दिनांक 30.07.2020 अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं	इकाई का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	अमानत राशि/बिड सिक्योरिटी (रु. लाखों में)	निविदा शुल्क (GST सहित)	ई-निविदा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क (GST सहित)
क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर					
1.	उदयपुर	39.00	0.78	2360	590
क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डौर					
2	नागौर	30.00	0.60	2360	590
क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीगंगानगर					
3.	श्रीगंगानगर	48.75	0.98	2360	590
4.	श्रीकरणपुर	30.00	0.60	2360	590
5.	सुरतगढ़	120.00	2.40	2360	1180
6.	हनुमानगढ़ "	65.00	1.30	2360	1180
क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर					
7.	हिण्डौन	29.00	0.58	2360	590
क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा					
8.	कोटा	75.00	1.50	2360	1180
9.	झालावाड़	56.00	1.12	2360	1180
10.	बांरा	85.00	1.70	2360	1180
क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्गापुरा					
11.	दिंडोल (बस्सी)	50.00	1.00	2360	1180
12.	दूनी	65.00	1.30	2360	1180

W

- यह निविदा राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाईट, SPP Portal राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan.gov.in, निगम वेबसाईट www.rajseeds.org एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए ई-निविदा प्रपत्र इस वेबसाईट पर दिनांक 30.07.2020 अपराह्न 2.00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। बिड सिक्योरिटी व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट **MD, RISL, Jaipur** के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं यह डिमाण्ड-ड्राफ्ट संबंधित इकाई पर दिनांक 30.07.2020 को सांय 3.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई-निविदाओं की तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी एवं इस हेतु तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जावेगी।
- तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
- निर्धारित बिड सिक्योरिटी, निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- प्रत्येक इकाई के परिवहन ठेके हेतु पृथक-2 निविदा प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
- उक्त ई-निविदायें केवल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
- सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि अनरिफण्डेबल होगी।
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आशिंक रूप से निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था का होगा।
- परिवहन कार्य हेतु इच्छुक निविदादाता निविदा सूचना में दी गई सूचना के आधार पर बिड सिक्योरिटी, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित इकाई पर जमा करवा सकते हैं अथवा इच्छुक निविदादाता उक्त समस्त राशि निगम के खाते में ऑनलाईन भी जमा करवा सकते हैं। ऑनलाईन राशि जमा कराने पर जमा कराई गई राशि की रसीद ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के माध्यम से तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन राशि जमा करवाने के लिए निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार है :-

1	संस्था का नाम:-	राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर
2	बैंक का नाम:-	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3	खाता संख्या :-	51052136667
4	आई.एफ.एस.सी. कोड:-	SBIN0031510
5	ब्रांच का नाम :-	तिलक मार्ग, जयपुर

५८-
 (जसवंत सिंह)
 प्रबन्ध निदेशक
 DIN 08383856

W

भाग —३

निविदादाता हेतु दिशा-निर्देश

1. **बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व, राज्य में खरीद प्रक्रिया हेतु लागू कानून, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, जो राज्य प्रोक्यूरमेन्ट पार्टल की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, को भली भांति पढ़/समझ लिया जावें। किसी भी समय इन अधिनियम एवं नियमों तथा बोली दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति पाया जाता है तो, अधिनियम एवं नियम के प्रावधान मान्य होगा।**
 2. **स्कोप ऑफ बिड़ :-** उपापन संस्था द्वारा बोली आमत्रण सूचना में दिए गए कार्य के लिए ई-प्राक्यूरमेन्ट के माध्यम से ऑन-लाईन बोली (निविदाएँ) आमंत्रित की जाती है।
 3. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity) :-** कोई भी व्यक्ति जिसने RTPP अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 80 के प्रावधानों के तहत निर्धारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, खरीद प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, बोलीदाता को बिड डोक्यूमेन्ट के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट—“अ” में कोड ऑफ इन्ट्रेग्रेटी की पालना करने हेतु धोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 4. **बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन:-** बोलीदाता या संभावित बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर उपापन संस्था द्वारा अधिनियम 2012 की अध्याय IV, धारा 11 (3) और 46 के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
 5. **पात्र बोलीदाता (Eligible Bidder) :-**
 - (A) एक बोलीदाता एक व्यक्ति, निजी संस्था, सरकार के स्वामित्व वाली इकाईयों/संस्था, पात्र हो सकते हैं।
 - (B) अधिनियम की धारा 46 अधीन के किसी भी संस्था द्वारा डिवार किया हुआ कोई भी बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।
 - (C) उपापन संस्था द्वारा मांगे जाने पर, बोलीदाता द्वारा निरन्तर संतोषजनक पात्रता बनाएँ रखने के साक्ष्य प्रदान करेगा।
 - (D) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा केवल एक ही बोली प्रस्तुत की जावे।
 - (E) जो बोली दाता GST IN में में रजिस्टर्ड नहीं है, बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। बिना GST रजिस्ट्रेशन के बोली रिजक्ट कर दी जायेगी।
 - (F) बोलीदाता द्वारा फर्म के संविधान में उपापन संस्था की पूर्वानुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
- नोट :-** यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र बिड प्रस्तुत करने की दिनांक को अवधिपार हो गया है और फर्म द्वारा नवीनीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है तो नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. **बोली दस्तावेजों में सम्मिलित** :— बोली दस्तावेजों में, निविदा शर्त, तकनिकी बिड़, बोली आमंत्रण सूचना, योग्यता मापदण्ड, एवं जारी किया गया कोई भी संशोधन इत्यादि, समरत सम्मिलित होंगे।
7. **बोली दस्तावेजों का विक्रय** :— बोली दस्तावेजों का विक्रय, बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की दिनांक से प्रारम्भ होकर, बिड़ प्राप्त करने के एक दिन पूर्व तक, www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड करने पर बिड़ डोक्यूमेन्ट फीस का भुगतान डी.डी. द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसे ई-प्रोक्यूरमेन्ट पर भी तकनिकी बिड़ के साथ अपलोड करना होगा।
- i. बोली दाता द्वारा बोली दस्तावेज www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से सही ढंग से डाउनलोड नहीं कर पाने पर उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ii. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह बिड़ दस्तावेजों के निर्देशों, फार्म, शर्त, को भलीभांति रूप से पढ़ ले/समझ ले, उपापन संस्था द्वारा निविदा के साथ चाही गई सूचनाएँ, डाक्यूमेन्ट प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
8. **बोली दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण** :— बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि उपापन संस्था द्वारा परिवहन कार्य हेतु जारी किए गये बोली दस्तावेजों की शर्तों, बी.एस.आर. दरों को भलीभांति पढ़ ले/समझ ले, बोलीदाता को किसी भी शर्त, बी.एस.आर. दरों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का शक (Dought) हो तो, बोली प्रस्तुत करने से पहले उपापन संस्था से लिखित में विलीरीफिकेशन मांग सकेगा। ऐसा विलीरीफिकेशन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से कम से कम 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। उपापन संस्था द्वारा ऐसा विलीरीफिकेशन प्राप्त होने पर 07 दिवस में बोलीदाता को स्पष्टीकरण जारी करेगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण की प्रति समरत वीडर को फोरवर्ड की जावेगी तथा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण का बोली दस्तावेजों में भी आवश्यक रूप से संशोधन किया जाएगा।
9. बोलीदाता द्वारा तकनिकी एवं वित्तीय बिड़ बोली दस्तावेजों में उपलब्ध निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जावें। तकनिकी बिड़ के सम्पूर्ण कॉलम को आवश्यक रूप से भरा जावें। बिड़ फार्म में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. **बोली दस्तावेजों में संशोधन** :—
 - (i) यदि आवश्यक हो तो, क्रेता अधिकारी बिड़ प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व किसी भी समय स्वयं (Suo Moto) बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकेगा, जारी किया गया संशोधन बिड़ दस्तावेज का हिस्सा/पार्ट होगा।
 - (ii) उपापन संस्था द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधन बोली दस्तावेजों का हिस्सा होगा। उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये संशोधन को www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।
11. **बिड़ की लागत** :— बोली तैयार करने से हेतु सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी, उपापन संस्था ऐसी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. **बिड के साथ प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेज़:-** बोली दो लिफाफे में (तकनिकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत की जावेगी।

तकनिकी बोली में निम्नलिखित शामिल होगा:-

- (i) पूर्ण भर हुआ तकनिकी बिड फार्म।
- (ii) सम्पूर्ण बोली दस्तावेज हस्ताक्षर किया हुआ।
- (iii) बोलीदाता का कोड ऑफ इस्ट्रेग्रेटी का घोषणा पत्र (अण्डरटेकिंग)।
- (iv) बिड सिक्योरिटी, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान स्वरूप डिमाण्ड-ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- (v) बिड दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकृत पत्र।
- (vi) GST, PAN, ऑफिस कार्यालय का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी।
- (vii) निविदादाता को विगत तीन वर्षों (2017–18 से 2019–20) में से किसी भी एक वर्ष में राजकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है इस हेतु निविदा के साथ सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (viii) तकनिकी क्वालिफिकेशन हेतु निर्धारित टन्य सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण—पत्र।

13. **बिड प्राईज और डिस्काउंट:-**

- i. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्राईज बिड बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न एक्सल फॉर्मेट, (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिडर द्वारा BOQ को मोडीफाई/रिप्लेस नहीं किया जावें, केवल रिलेवेन्ट कॉलमों में ही दरे भरी जावें। बोलीदाता द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती किए जाने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो इसके लिए बिडर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- ii. यदि बोलीदाता द्वारा BOQ में बैसिक प्राईज कॉलम भरा नहीं जाता है तो बिड रिजक्ट की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी।
- iii. बिड में प्रस्तुत दर समस्त करो सहित प्रस्तुत की जावें। GST, यदि लागू हो, अलग से दिया जावें। प्रस्तुत की गई दरें अनुबन्ध अवधि 2020–21 एवं 2021–22 के लिए फिक्स (निर्धारित) होगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जीएसटी अलग से देय होने पर राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित दरों अनुसार देय होगी।

14. **बोलियों को हस्ताक्षरित किया जाना :-** बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर, समस्त निबिन्धों एवं शर्तों की सहमति के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षर करेगा। बिना हस्ताक्षर किए प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

15. **स्वीकृत निविदा की अवधि :-** निविदा में स्वीकृत की गई दरें वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 तक वैद्य होगी। आवश्यकता होने पर अनुबन्ध की अवधि RTAIP नियमों के प्रावधान अनुसार बढ़ायी जा सकेगी। फर्म/बोलीदाता बढ़ायी गयी अवधि में परिवहन कार्य करने हेतु बाध्य होंगे।

16. बोलियो की वैधता अवधि :- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली तकनीकि निविदा खोलने की दिनांक से न्यूनतम 90 दिवस के लिए विधिमान्य होगा। 90 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की गई बिड निरस्त कर दी जावेगी। आवश्यकता होने पर उपापन संस्था द्वारा निवेदन करने पर बिड की वैधता अवधि 90 दिवस से अधिक बिडर की सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

17. बोली प्रतिभूति (Bid Security) :-

- (i) बोली प्रतिभूति की राशि अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत होगी। बिड सिक्यूरिटी व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट MD, RISL, Jaipur के नाम बनवाकर निर्धारित समय तक संबंधित इकाई पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- (ii) बोली प्रतिभूति बैकर चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट और भारत में अनुसूचित बैक द्वारा जारी बैक गारन्टी या ई-ग्रास के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (iii) बोली दाता द्वारा अन्य बोलियों के लिए प्रस्तुत बोली प्रतिभूति समायोजित नहीं की जायेगी। लेकिन रि-टेण्डर करने के फलस्वरूप पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति स्वीकार की जा सकेगी। इस हेतु बोलीदाता को पूर्व में प्रस्तुत बिड सिक्यूरिटी का सबुत निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत बोली प्रतिभूति जारी करता बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।
- (v) सफल बोलीदाता के मामले में, बोली प्रतिभूति राशि, कार्य सम्पादन प्रतिभूति में समायोजित की जा सकेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि जमा कराई जाने पर बोली प्रतिभूति वापस लौटा दी जायेगी।
- (vi) बोली प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

18. बोली प्रतिभूति वापस लौटाना:- असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

19. बोली प्रतिभूति को जब्त (Forfeited) किया जाना

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति निम्न मामलों में जब्त कर ली जायेगी :-

- (i) जब बोली लगाने वाला बोली खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत (Withdrawn) या उपात्तरित (मोड़ीफाई) करता है; या
- (ii) जब बोली लगाने वाला कार्यादेश/स्वीकृत पत्र जारी करने के 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) नहीं करता है; या
- (iii) जब बोली लगाने वाला निर्धारित अवधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (बिड परफोरमेन्स सिक्यूरिटी) जमा नहीं करता है; या

W✓

- (iv) जब बोली लगाने वाला निर्धारित समय के भीतर कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है; या
- (v) यदि बोलीदाता द्वारा इन अधिनियम और नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने के लिए विहित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध को भंग किया जाता है; या
- (vi) यदि बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों में प्रस्तुत डोक्यूमेन्ट किसी भी समय मिथ्या (False) डोक्यूमेन्ट्स पाया जाता है; या
- (vii) यदि बोलीदाता एनेक्जर—‘डी’ के अनुसार संशोधन (Correction) को स्वीकार नहीं करता है।

20. बोली प्रस्तुत करना एवं बोली खोलना :-

- (i) बोलीदाताओं द्वारा बोली राज्य प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।
- (ii) बोलदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई—प्राक्यूरमेन्ट द्वारा बिड प्रस्तुत करने की स्थिति में बोलीदाता बिड प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम समय से पूर्व ही ई—पोर्टल पर अपनी बिड अपलोड करें। अन्तिम समय में किसी कारण से बिड अपलोड नहीं कर पाने के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (iii) बोलीदाता द्वारा तकनिकी बोली एवं वित्तीय बोली पृथक—पृथक प्रस्तुत की जावेगी।

21. बोलियों का प्रत्याहरण (Withdrawal) :- किसी भी बोली का प्रत्याहरण (Withdrawal) प्रति स्थापना या उपान्तरण बोलियों के प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक और समय के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

22. बिड खोलना (Bid Opening):-

- (i) निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों को बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में गठित उपापन समिति द्वारा बिड ओपन करने हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर केवल तकनिकी बिड खोली जावेगी। उपस्थित निविदादाताओं की एक सूची तैयार कर उस पर उनके हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
- (ii) तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। उपापन संरथा द्वारा तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा।
- (iii) तकनिकी बिड में असफल बोलीदाताओं को जिन मापदण्डों के आधार पर असफल घोषित किया गया है, लिखित में सूचित किया जायेगा।

23. नेगोशिएसन (बातचीत):-

- (i) एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन पद्धति के सिवाय, जहाँ तक सम्भव हो, नेगोशिएसन नहीं किया जायेगा; तथापि
- (ii) नेगोशिएसन केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितियाँ में किया जा सकेगा :—

W/

- (क) जब बोली लगाने वालों ने समूह कीमते (रिंग प्राईज़ / पूल करके) कोट की गई हो या
- (ख) जब कोट की गई दरे और बाजार दरों में बहुत अधिक अन्तर हो।
- (iii) बोली मूल्यांकन समिति को, कारण को अपलिखित करते हुये, नेगोशिएसन करने की पूर्ण शक्तियाँ होगी।
- (iv) नेगोशिएसन के लिए न्यूनतम बोलीदाता को लिखित में सूचित किया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम सात दिवस का समय दिया जाएगा। अति आवश्यक होने पर इस अवधि को कम किया जा सकेगा, बशर्ते बोलीदाता को सूचना मिल जानी चाहिए एवं इसकी सहमति बिडर से भी ले ली गई हो।
- (v) यदि नेगोशिएसन उपरान्त भी संतोषप्रद दरे प्राप्त नहीं होती है तो गूत्थॉकन समिति न्यूनतम निविदा दाता को लिखित में काउण्टर ऑफर दे सकेगी, यदि बोलीदाता द्वारा काउण्टर ऑफर स्वीकार नहीं किया जाता है तो द्वितीय (L_2) तृतीय (L_3)या इस प्रकार समस्त को काउण्टर ऑफर दिया जा सकेगा।
- (vi) यदि काउण्टर ऑफर के उपरान्त भी मूल्यांकन समिति दरों को अधिक होना स्वीकार करती है तो रि-टेण्डर आमन्त्रित किया जा सकेगा।

24. किसी भी बोली या निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार :— निविदा स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली या सभी बोलियों को अथवा सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया को अस्वीकार करने / निरस्त करने का उपापन संस्था को सम्पूर्ण अधिकार होगा।

25. सफल बोली और निविदा स्वीकृति :—

- (i) मूल्यांकन समिति की अभिशंषा / निविदा की शर्तों, आदि के आधार पर उपापन संस्था बोली स्वीकार / अस्वीकार करेगा।
- (ii) उपापन संस्था बोली स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि राफल बोली की कीमत उचित और आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप है।
- (iii) बोली तभी सफल मानी जावेगी जब सक्षम अधिकारी द्वारा खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- (iv) उपापन संस्था, सफल बोलीदाता को लिखित में, बोली की वैद्यता अवधि की समाप्ति से पूर्व, सूचना देगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है।

26. अनुबन्ध पत्र (Agreement) निष्पादित करना :—

- (i) सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस में में 500/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुलग्न E में अनुबन्ध पत्र का निष्पादन करेगा। स्टाम्प पेपर की कीमत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी।
- (ii) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agriment) निष्पादन करने या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो उपापन संस्था द्वारा बोलीदाता की बिड सिक्योरिटी जब्त कर ली जावेगी एवं इन अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकेगी।

W

27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Bid Performance Security) :-

- (i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि कार्य आदेश मूल्य के 5 प्रतिशत होगी।
- (ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जा सकेगी :—
- (क) ई-ग्रास के माध्यम से
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक
- (ग) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी। उपापन संस्था द्वारा प्राप्त बैंक गारन्टी को जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (घ) किसी बैंक की नियत जमा रसीद (एफ.डी.आर.) इसके लिए बैंक रो अण्डरटेकिंग भी ली जायेगी।

28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त (Forfited) करना :-

- (क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण या आँशिक (पार्टली) निम्न मामलों में जब्त कर ली जावेगी :—
- (i) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या
- (ii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में परिवहन कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या
- (iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में परिवहन कार्य संतोषप्रद रूप से करने में विफल रहता है; या
- (iv) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (v) जब बोलीदाता किसी अन्य अनुबन्ध के तहत देय राशि उपापन संस्था को भुगतान करने में विफल रहता है; या
- (vi) यदि बोलीदाता इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में बोलीदाताओं के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

नोट :—उपापन संस्था द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करने से पूर्व बोलीदाता को स्पष्टीकरण देने हेतु युक्तियुक्त (पर्याप्त) समय दिया जायेगा। उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।

29. निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया :— बोलीदाता निविदा प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शिकायत इस अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रथम अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को अपील कर सकेगा।

30. अपील :— RTPP अधिनियम 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुये, यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत जारी नियमों के उल्लंघन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को निर्णय की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्म अनुलग्न—में निर्धारित फीस की राशि के साथ अपील दाखिल कर राकेगा।

31. निविदा प्रपत्र के भाग—अ के अनुभाग—3 के अनुरूप निविदा भरी जावे। निविदादाता द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

32. टेंडर में सभी वैघानिक औपचारिकताएं जैसे GST एवं पैन नम्बर इत्यादि को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
33. निविदा भाग 'अ' के अनुभाग—गा के अनुरूप ही प्रस्तुत की जावे यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।
34. निविदादाता अपनी ई—मेल आई.डी आवश्यक रूप से अंकित करें और ई—मेल के माध्यम से भेजी गई कोई भी सूचना अधिकारिक रूप से मान्य होगी।
35. राजस्थान लाक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया हेतु समय—समय पर जारी परिपत्र/नोटिफिकेशन लागू होंगे।

राजस्थान स्टेट सीड़स कार्पोरेशन लिमिटेड

अनुभाग-2

परिवहन ठेके की नियम व शर्तें

1. **अनुबंध (Agreement) निष्पादित करना** :- उपापन संस्था एवं सफल बोलीदाता के बीच एक अनुबंध पत्र (एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जावेगा, बोली दस्तावेज में उल्लेखित शर्तें, बोली आमंत्रण सूचना, बिड प्रोफार्मा, बोली दस्तावेजों में सशोधन, यदि कोई हो, अनुबंध पत्र का हिस्सा / भाग होगें।
2. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity)** :- बोलीदाता द्वारा इस अधिनियम एंव नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता की सख्ती से पालन की जावेगी।
 - (i) सप्लायर द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उपापन संस्था के किसी भी अधिकारी एंव कर्मचारी को प्रत्यछ या अप्रत्यछ रूप से रिश्वत, ईनाम, उपहार या किसी भी प्रकार की साम्रग्री देने की पेशकश नहीं की जावेगी।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या निविदा प्रक्रिया के दौरान अनुबंध के सतोषप्रद ढंग से सम्पादन करने से बचने के लिए मिसरिप्रजेटेशन द्वारा गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा।
 - (iii) बोलीदाता द्वारा निविदा प्रक्रिया के समय प्रति स्पार्धात्मक दर्दे प्राप्ति को रोकने के उद्देश्य से आपसी सॉर्ट- गाँठ एवं पूल नहीं करेगा।
 - (iv) बोलीदाता द्वारा उपापन संस्था एवं बोलीदाता के बीच साझा की गई किसी भी सूचना को अनुचित लाभ हासिल करने हेतु दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।
 - (v) बोलीदाता द्वारा निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी पार्टी को नुकसान पहुँचाने या ऐसा करने की धमकी देने सम्बन्धी कार्य नहीं करेगा।
 - (vi) बोलीदाता निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के सफल संचालन हेतु किसी भी जॉच एंव लेखा परीक्षा हेतु बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
 - (vii) बोलीदाता द्वारा उसे गत तीन वर्षों में राज्य सरकार/ संस्था द्वारा डिवार किये जाने से सम्बन्धी सूचनाओं का खुलासा करेगा।
 - (viii) बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर (दुष्प्रिय, धोखाधड़ी आकामक या कपटपूर्ण व्यवहार इत्यादि के लिए) उपापन संस्था द्वारा इस अधिनियम के अध्याय IV एवं धारा 11(3) तथा 46 के तहत बोलीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
 - (ix) उपापन संस्था द्वारा आवश्यकता होने पर निविदादाता के रिकॉर्ड एवं लेखों की जॉच करने या लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट कराई जा सकेगी। इसके लिए निविदादाता द्वारा उपापन संस्था को अनुमति दिया जाना आवश्यक होगा।
3. **नोटिस** :- एक पार्टी द्वारा दुसरो पार्टी को किसी भी प्रकार का नोटिस लिखित में दिया जावेगा, नोटिस डिलीवर्ड होने की दिनांक से या नोटिस में प्रभावी होने की दिनांक अंकित होने पर, जो भी बाद में हो, प्रभावी माना जावेगा।

4. अप्रत्याशित घटना घटित होने पर (Force Majeure) :-

- (i) यदि कोई अप्रत्याशित घटना जो सफल निविदादाता के नियंत्रण से बाहर है एवं कार्य करने में सफल निविदादाता की लापरवाही के कारण विलम्ब नहीं हुआ है। ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने के कारण अनुबन्ध के तहत कार्य करने में विफल रहने पर निविदादाता की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसी घटनाएँ में संप्रभु क्षमता, वार/क्रान्ति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबन्ध इत्यादि शामिल होंगे ॥
- (ii) सफल निविदादाता द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त इस तरह के हालतों, कारणों एवं उसके प्रभावों की लिखित में उपापन संस्था को सूचना देगा, जब तक उपापन संस्था द्वारा लिखित में कोई निर्देश नहीं दिए गए हो सफल निविदादाता तब तक अपने दायित्वों की फरफोरमेन्स जारी रखेगा एवं वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करेगा।
5. **कॉन्ट्रैक्ट को सबलैट करना:-** सप्लायर द्वारा बिना उपापन संस्था की पूर्वानुमति के कॉन्ट्रैक्ट सैबलैट नहीं किया जावेगा।
6. **सप्लायर की जिम्मेदारी :-** अनुबन्ध/कार्यादेश के अनुसार सम्पूर्ण परिवहन कार्य करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी।
7. निविदादाता परिवहन ठेकेदार के स्वामित्व में कम से कम एक ट्रक (न्यूनतम 9 टन क्षमता) होना अनिवार्य हैं एवं एक ट्रक होने का शपथ पत्र और आर.सी. की फोटोप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ 100/- रु० के रुपये पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचीबद्ध/डीवार नहीं किया गया है।
9. निविदादाता को विगत तीन वर्षों (2017–18 से 2019–20) में से किसी भी एक वर्ष में राजकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है इस हेतु निविदा के साथ सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. यदि किसी फर्म द्वारा निविदा में अनुमानित लागत से कम दर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदादाता को निविदा की अनुमानित लागत से अंतर राशि की बैंक गांरटी अतिरिक्त (परफॉरमेन्स गांरटी के रूप में) देनी होगी।
11. निगम द्वारा परिवहन ठेकेदार से ट्रक मांगने हेतु पत्र व ई–मेल आईडी पर संबंधित ठेकेदार को सूचित करना होगा तथा इसके उपरांत चौबीस घंटे में ट्रक उपलब्ध करवाना होगा। आंशिक मात्रा हेतु भी वाहन मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवाना होगा। निर्धारित समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर परिवहन व्यवस्था कर लेगा और अन्तर राशि अधिकृत परिवहन ठेकेदार से वसूली की जाएगी।
12. अधिकृत परिवहन ठेकेदार को माल की डिलीवरी लदाई से अधिकतम 24 से 72 घंटे में (दूरी के अनुसार) देनी होगी। निश्चित समयावधि में माल गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाने की स्थिति में निगम को होने वाले नुकसान की भरपाई परिवहन ठेकेदार से 1000/- प्रतिदिन से शास्ती ली जाएगी।
13. यदि परिवहन ठेकेदार द्वारा माल की आपूर्ति निश्चित गन्तव्य स्थान पर नहीं की जाती हैं, तो परिवहन ठेकेदार से माल के कुल विक्रय मुल्य के आधार पर वसूली की जाएगी।

W

14. परिवहन ठेकेदार बीजों का परिवहन इस प्रकार करेगा की बीज की गुणवत्ता एंव भौतिक स्थिति पर विपरित प्रभाव न पड़े। अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता हैं, तो उसकी भरपाई परिवहन ठेकेदार द्वारा की जावेगी।
15. निगम हित में कुशल सेवाओं हेतु परिवहन ठेकेदार को प्रजनक/आधार बीज के परिवहन में लघु मात्राओं के लिये चूनतम 5 विव. मात्रा का भुगतान किया जा सकता हैं।
16. फसलवार एंव किस्मवार प्रमाणित बीजों की प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की ही होगी।
17. विभागीय आपूर्ति में माल उत्तराई परिवहन ठेकेदार को करवानी होगी। इस कार्य हेतु संबंधित इकाई की माल उत्तराई हेतु अनुमोदित दर से संबंधित इकाई परिवहन ठेकेदार को पुर्नभरण करेगी।
18. माल के सुरक्षित परिवहन हेतु परिवहन ठेकेदार द्वारा Transit Insurance अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा एंव इस संबंध में समस्त वांछित सूचना संबंधित संयंत्र कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
19. यदि इकाई की आवश्यकतानुसार बीजों के विपणन हेतु अतिरिक्त केंद्र स्थापित किये जाते हैं तो उक्त केंद्रों से बीजों का परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवश्यकता हुई तो बीजों को केन्द्र से उठाकर वापस संयंत्र पर लाने का कार्य भी परिवहन ठेकेदार को करना होगा।
20. राज्य सरकार के परिवहन नियमों की पालना करने की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की होगी व नियमों की पालना ना करने पर किसी भी प्रकार के नुकसान का समस्त उत्तरदायित्व परिवहन ठेकेदार का होगा।
21. परिवहन कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
22. यूनियन बन जाने या टूट जाने की स्थिति में स्वीकृत निविदा दरें ही मान्य होगी।
23. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं दिया जायेगा। बिल का भुगतान केवल 'एकाउन्ट पेई' चैक/RTGS द्वारा ही किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा।
24. आवश्यकतानुसार गाड़ी/ट्रक सांय 4.00 बजें तक कार्यालय/गोदाम पर उपलब्ध करानी होगी। इसके पश्चात् गाड़ी नहीं भरने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
25. बिल्टी/जी.आर. बनाये जाने पर ही गाड़ी/ट्रक गेट के बाहर जा सकेगी।
26. सफल निविदादाता स्वयं या उसका प्रतिनिधि कार्यालय/गोदाम पर आने के लिये अधिकृत होगा, जो कि अधिकतम दो सदस्यों को निविदादाता अधिकृत कर सकेगा। इसके लिये सदस्यों का नाम, पता मय फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा।
27. बीज विक्रताओं द्वारायदि स्वयं के साधन से बीज उठाया जाता है तो इकाई की अनुमोदित परिवहन दर से किराया दर पर पुनर्भरण किया जावेगा।
28. यदि रॉ बीज केम्प लगाकर बाहर उत्पादन क्षेत्र से विधायन केन्द्र/संयंत्र तक ले जाना है तो परिवहन ठेकेदार को वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
29. माल की लदाई के समय माल सम्भाल कर लेना होगा एंव उत्तराई के समय माल सम्भालना होगा।
30. माल संयंत्र से उठाना होगा एंव जहां माल जा रहा हैं, वहीं डिलीवरी करनी होगी, इसके लिये दी गई दरों के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।
31. भाड़े का भुगतान प्रत्येक ट्रक द्वारा भेजे गये माल की प्राप्ति रसीद जी.आर. की दूसरी प्रति पर एंव चालान की प्रति पर कार्यालय की मोहर सहित प्राप्त होने पर किया जावेगा।
32. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।

33. विधायन सामग्री परिवहन में सामग्री का वजन कम होने के कारण किराया कम बनता है, जिससे इकाईयों पर विधायन सामग्री के परिवहन में दिक्कत रहती है। अतः जिस क्षमता का वाहन लिया जाता है उसी के अनुसार उसका भुगतान किया जाना है। जैसे वजन 60 किवं है तथा 90 किवं की गाड़ी का माम आ रही है तो उसे अधिकतम 90 किवं वजन का किराया दिया जावेगा।

34. Annexura 'F' पर लेखा विज्ञ के चार्ट अनुसार विभिन्न जिला मुख्यालयों के मध्य निर्धारित दूरी संलग्न की गई है। परिवहन कार्यों के बिलों में परिवहन की दूरी मुख्य रूप से इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित की जावेगी तथापि जिला मुख्यालय से निगम के बीज विधायन संयंत्र की दूरी (यदि कोई हो) का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक, संयंत्र प्रबन्धक, लेखाकार एवं परिवहन ठेकेदार के प्रतिनिधि की कमेटी द्वारा निर्धारित कर इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कार्यालय आदेश प्रसारित किया जावेगा। तदनुसार ही एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच की दूरी निर्धारित की जावेगी एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा इस दूरी के अनुसार ही बिल प्रस्तुत किया जावेगा। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि शर्त संख्या-35 के अनुसार GPS Data से प्राप्त दूरी एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी में 05 किमी. से अधिक का अंतर होने पर दोनों में से कम दूरी का ही भुगतान किया जावेगा।

35. बीज / सामग्री के परिवहन में प्रयुक्त वाहन GPS System से जुड़ा होना आवश्यक होगा एवं परिवहनकर्ता द्वारा बिलों के भुगतान के समय GPS Data को बिलों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

36. निविदादाता का वाहन जी.पी.एस. से जुड़ा होना अनिवार्य होगा एवं परिवहन बिलों के भुगतान के समय जी.पी.एस के डाटा को भी बिलों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

37. कार्य सम्पादन प्रतिभूति को वापस लौटाना :— सप्लायर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति संतोषप्रद कार्य पूर्ण होने / अनुबन्ध समाप्त होने पर बिना ब्याज वापस लौटा दी जावेगी।

38. रिस्क एण्ड कॉर्स्ट परचेज :-

(i) सप्लायर अनुबन्ध के अनुसार परिवहन कार्य करने में विफल रहता है तो, उपापन संस्था द्वारा आवश्यकता होने पर, सप्लायर की रिस्क एवं कॉर्स्ट पर परिवहन कार्य कराया जा सकेगा। यदि ऐसा कार्य करने से उपापन संस्था को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है तो उसकी सम्पूर्ण वसूली सप्लायर से की जायेगी।

(ii) उपापन संस्था के पास सप्लायर की कोई राशि जमा नहीं होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली RTPP अधिनियम की धारा 53 या अन्य कानूनों के तहत की जा सकेगी।

39. बोली प्रस्तुत करने के बाद या अनुबन्ध अवधि में सप्लायर को अन्य किसी संस्था द्वारा डिवार किया जाना :-

(i) यदि किसी बोलीदाता को बिड प्रस्तुत करने के पश्चात् या निविदा स्वीकृति पश्चात् किसी संस्था द्वारा डिवार/ब्लैक लिस्ट/बैन किया जाता है तो बोलीदाता द्वारा डिवार किये जाने के 15 दिवस में उपापन संस्था को सूचित करेगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यादेश मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से पैनेल्टी लगाई जा सकेगी।

(ii) उपापन संस्था की जानकारी में आता है कि सफल बोलीदाता को किसी संस्था द्वारा डिवार/ब्लैक लिस्ट/बैन कर दिया गया है तो आगे कोई कार्य नहीं कराया जायेगा एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।

40. अनुबन्ध को निरस्त किया जाना :- उपापन संस्था द्वारा निम्न मामलों में सम्पूर्ण अनुबन्ध या उसके किसी भाग को निरस्त (टरमीनेशन) किया जा सकेगा:-

- (i) बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध की शर्तों/इन अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन करने पर; या
- (ii) सप्लायर द्वारा सम्पूर्ण परिवहन कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल रहने पर; या
- (iii) सप्लायर द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन करने पर; या
- (iv) उपापन संस्था किसी भी समय यह पाती है कि सप्लायर दिवालिया हो गया हो; या
- (v) अनुबन्ध निरस्त करने वाले नोटिस में अनुबन्ध जिस दिनांक से समाप्त किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जायेगा।

नोट:- उपापन संस्था द्वारा किसी भी अनुबन्ध को निरस्त करने से पूर्व सप्लायर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त समय पर नोटिस दिया जायेगा।

41. बोलीदाता/सप्लायर को डिवार किया जाना :- उपापन संस्था द्वारा किसी भी बोलीदाता/सप्लायर को निम्नलिखित मामलों में धारा 46 के तहत अधिकतम 3 वर्ष के लिए डिवार किया जा सकेगा :-

- (i) जब बोलीदाता, भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या
- (ii) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या
- (iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या
- (iv) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में परिवहन कार्य संतोषप्रद रूप से करने में विफल रहता है; या
- (v) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (vi) जब बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया गया हो; या
- (vii) निविदादाता द्वारा झुठे, जाली या मनगढ़त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं; या
- (viii) निविदा स्वीकृत कराने/कार्यादेश प्राप्त करने के इरादे से तथ्यों को छिपाता है; या
- (ix) सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध पत्र (Agreement) निष्पादित करने के बाद अनुबन्ध के नियम और शर्तों की प्रतिवद्वताओं को पूर्ण करने में असफल होने पर।

नोट:- उपापन संस्था द्वारा किसी बोली लगाने वाले/सप्लायर को धारा 46 के अधीन डिवार करने से पूर्व उसे सुनने का युक्तियुक्त (पर्याप्त) अवसर दिया जायेगा।

मैंने/हमने उपरोक्त निविदा की सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

UV

राजस्थान स्टेट सीड़िस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुभाग-3

निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

राजस्थान स्टेट सीड़िस कॉर्पोरेशन.लि.

विषय:- परिवहन ठेके हेतु निविदा वर्ष 2020-21-2021-22

महोदय,

1. निविदा दाता का नाम
2. पूर्ण पता
3. टेलीफोन नम्बर निवास.....मोबाइल न0.....
4. निविदा शुल्क ड्राफ्ट संख्यादिनांक राशि बैंक का नाम.....
5. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ड्राफ्ट संख्यादिनांक राशि बैंक का नाम.....
6. बिड सिक्योरिटी का विवरण ड्राफ्ट संख्यादिनांक राशि बैंक का नाम.....
7. GST रजिस्ट्रेशन नम्बर
8. पेन नम्बर
9. ई-मेल आईडी

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी नियम व शर्तों एवं निर्धारित बी.एस.आर. का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता एवं सील

W✓

अनुभाग—3 (1)

तकनीकि निविदा हेतु प्रपत्र

सेवा में,

राजथान स्टेट सीडस कॉर्पोरेशन.लि.

1. बिड सिक्योरिटी, निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (ड्राफ्ट संलग्न).....
2. GST नम्बर
3. GST एवं PAN रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र, संलग्न करें
4. निविदादाता के स्वामित्व में कम से कम एक ट्रक (न्यूनतम 9 टन क्षमता) हो, इसका शपथ-पत्र संलग्न करे
5. निविदादाता के स्वामित्व में कम से कम एक ट्रक (न्यूनतम 9 टन क्षमता), जिसकी आर.री. की फोटो प्रति संलग्न
6. 100 रु. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचिबद्ध/डीबार नहीं है
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षों (2017–18 से 2019–20) में से किसी भी एक वर्ष में राजकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है इस हेतु निविदा के साथ सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

W

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidderparticipating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the

- Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.
- W*

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No.....

Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or to have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. That our firm is not involved in any litigation with any state/central govt. deptt./public undertaking etc.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name :

Designation:

Address:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is PSA Department of Agriculture Government of Rajasthan.

The designation and address of the Second Appellate Authority is secretary finance (Budget) department , Government of Rajasthan.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under pars (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in pars (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

U2

- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under pars (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement**Act, 2012**

Appeal Noof
Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against

and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of

the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented

by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**6. Grounds of appeal:**

.....
.....
.....

Supported by an Affidavit)

7.

Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract**1. Correction of arithmetical errors :**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed fiftypercent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

